कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'ख' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-eicpwduk @ nic.in Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd

पत्र सं0:– 148 / 01व्यख–सा0 / 2019 दिनांक 15/ 03/ 2021

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता
क्षेत्रीय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0
लोक निर्माण विभाग .... ।

विषयः– **वृत्तीय / खण्डीय संवर्ग में फील्ड में कार्यरत कर्मचारी (चौकीदार, दफतरी,अनुसेवक, डाकरनर, अर्दली, स्वीपर) जो प्रमुख / मुख्य अभियन्ता संवर्ग अथवा वृत्तीय संवर्ग में आने के इच्छुक हो के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक दिनांक–26.12.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में लो0नि0वि0 नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में जारी ग्रीवान्स बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–08 में नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघद्वारा मांग की गई थी कि "वृत्त / मुख्य अभियन्ता कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी से पदोन्नति हेतु पद रिक्त हैं,विभाग में फील्ड में कई कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं,यदि वृत्त कार्यालय / मुख्य अभियन्ता / प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में पदोन्नति के पात्र नही हैं तो फील्ड से समायोजन किया जाय।" उक्त प्रतिउत्तर में इस कार्यालय के पत्र संख्या–934 / 05(III) का0प्र0– अधि0 / 20 दिनांक–31.12.2020 के द्वारा यह निर्देश पारित किये गये हैं कि "संवर्ग परिवर्तन होने पर ही उक्त कार्यवाही सम्भव होगी। इच्छुक कार्मिक संवर्ग परिवर्तन के सम्बन्ध में शपथ पत्र पर अपना आवेदन दे सकते हैं,पात्रता के अनुसार ही उक्त विषयक विचार किया जायेगा ।"

अतः यदि वृत्तीय / खण्डीय संवर्ग में चौकीदार,दफतरी, अनुसेवक, डाकरनर, एवं अर्दली के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो प्रमुख / मुख्य अभियन्ता संवर्ग में आने के इच्छुक हों तो उनका नाम/ पदनाम / प्रत्यावेदन, संवर्ग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (प्रारूप की प्रति संलग्न) इत्यादि अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित एक माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

इसी प्रकार यदि खण्डीय संवर्ग में चौकीदार, दफतरी, एवं अनुसेवक के पद पर कार्यरत कर्मचारी वृत्तीय संवर्ग में आने के इच्छुक हो तो उक्त सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करते हुए प्रकरण 01 माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संवर्ग परिवर्तन पर प्रमुख / मुख्य अभियन्ता सवंर्ग अथवा वृत्तीय संवर्ग जैसी भी स्थिति है, में वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठतम् कार्मिक के नीचे ज्येष्ठता निर्धारित होगी । संवर्ग परिवर्ततन पर रिक्त पदो की उपलब्धता पर ही विचार किया जायेगा। कृपया इस पत्र को अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाय ।

संलग्नः–शपथ पत्र का प्रारूप

(जे0 एस0 हयांकी)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,................वां वृत्त लो0नि0वि0.. ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड ।
3. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यप्रभारित वर्ग,विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
5. श्री सतीश चन्द्र,प्रदेश अध्यक्ष लो0नि0वि0 नियमित वर्कचार्ज संघ, उत्तराखण्ड,कैम्प कार्यालय,श्री ज्ञानी सदन हरिसिंहपुर पो0ओ0कोटद्वार जिला पौड़ी ।

15/03/21

:: प्रारूप ::

शपथकर्ता :– मै .... पुत्र/पुत्री श्री. ....
(अनुसेवक/चौकीदार/अर्दली/डाकरनर/दफ्तरी/स्वीपर) लो0नि0वि0 ....
....उत्तराखण्ड, ईश्वर को साक्षीकर शपथपूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ :–

1. यह कि शपथकर्ता द्वारा दिया गया उपरोक्त पता सही एंव सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता ने विभाग मे फील्ड कर्मचारी के रूप में (अनुसेवक/ चौकीदार / अर्दली/डाकरनर/दफ्तरी) के पद पर लोक निर्माण विभाग में (कार्यालय का नाम) .... लो0नि0वि0 .... मे दिनांक .... को योगदान किया है।
3. यह कि शपथकर्ता प्रमुख अभियन्ता व्यवस्थापन (ख) वर्ग लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक ..../01 व्यख–सा0/2020 दि0 ....02.2021 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय संवर्ग मे (अनुसेवक/चौकीदार/अर्दली/डाकरनर/दफ्तरी) के पद पर संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनी सहर्ष सहमति देता/देती है।
4. यह कि शपथकर्ता प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय संवर्ग में अपनी ज्येष्ठता का दावा नही करेगा/करेगी।
5. यह कि शपथकर्ता प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय संवर्ग मे (अनुसेवक/चौकीदार/अर्दली/डाकरनर/दफ्तरी) की ज्येष्ठता कनिष्ठतम (BOTTOM SENIORITY) पर निर्धारित करने हेतु सहर्ष सहमति देता/देती है।

नोट :– कृपया ज्ञातव्य हो कि प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता संवर्ग का तात्पर्य प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय व समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय व मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0 कार्यालय से है।